पीपुल्स समाचार
(12.02.2015)

कॉरीडोर में स्टंट करने पर 5 हजार जुर्माना

पीपुल्स समाचार में प्रकाशित फोटो पर मानवाधिकार आयोग ने लिया था संज्ञान

पीपुल्स
इम्पैक्ट

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
editor@peoplessamachar.co.in

बीआरटीएस कॉरीडोर में गाड़ी पर स्टंट करना एक युवक को महंगा पड़ा। पुलिस ने उस पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आगे ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी। इस संबंध में पीपुल्स समाचार ने 13 अक्टूबर 2014 को स्टंट करते हुए युवक का फोटो प्रकाशित किया था। इस पर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और डीआईजी भोपाल को जांच प्रतिवेदन भेजा था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

राजधानी निवासी एसपी सेन का बेटा एचआर सेन बीआरटीएस कॉरीडोर में अपनी गाड़ी से स्टंट कर रहा था। इस दौरान वहां से कई लोग गुजर भी रहे थे। इसका फोटो पीपुल्स समाचार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। पुलिस ने युवक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115, 194, 129, 177 के तहत कार्रवाई की।